

2025/1459

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - अहोरात्र ग्रामनिवा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1187

दापर दिनांक 10.10.25

निर्णय दिनांक 10.10.25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	अहोरात्र ग्रामनिवा	101	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अहोरात्र ग्रामनिवा को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल अहोरात्र ग्रामनिवा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदसमद करें।

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चितौड़गढ़